

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन**  
**Employees' Provident Fund Organisation**  
 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
 (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

**क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office**

भविष्य निधि भवन, फायर स्टेशन के पीछे, सैक्टर-15ए, फरीदाबाद  
 Bhavishya Nidhi Bhawan, Behind Fire Station, Sector-15A, Faridabad

फाइल सं० अनुपालना -  
 सेवा में,

Intel / हरियाणा / 13948 / 3961

दिनांक 9-9-09

मैसर्स

A. B. M. Public School,  
 Riwajpur, Faridabad.

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 तथा उसके  
 अन्तर्गत रचित योजनाओं की प्रायोज्यता ।

महोदय

आपके द्वारा दिनांक..... को प्रस्तुत ब्यौरों तथा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.8.09 को आपकी स्थापना की

जांच की गई जिसके आधार पाया गया कि :-

A. B. M. Public School

1. आपकी स्थापना/फैक्टरी अर्थात् मैसर्स..... जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की अनुसूची एक में शामिल है, ..... के कार्य में संलग्न है ।
2. कि आपकी स्थापना/फैक्टरी में दिनांक 25.8.09 को 20 कर्मचारी नियोजित थे ।
3. कि आपकी स्थापना/फैक्टरी ने दिनांक..... को क०भ० नि० एवं प्र० उप० अधिनियम 1952 की धारा 16 (1) तथा अधिनियम के अन्तर्गत रचित प्रावधानों के अनुसार 3 वर्ष की शैशव अवधि पूरी कर ली है । अतः उक्त अधिनियम और स्कीम के प्रावधान, उक्त स्थापनाओं तथा उनके मुख्यालयों और शाखाओं/विभागों जो चाहे एक या अनेक स्थानों पर स्थित हैं, उनके रिकार्ड की अन्तिम/अन्तिम जांच के बाद, पूर्व अवधि के लिए अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत लागू हैं ।
4. यह कोड नं० एच०आर०/फरीदाबाद 13948 कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और इसके अन्तर्गत रचित कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995, कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना 1976 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आंबटित किया गया है ।
5. इस कार्यालय से सभी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय कोड नं० अवश्य लिखें । अनुदेशों का एक सैट संलग्न है ।
6. इस पत्र तथा अनुलग्नकों की प्राप्ति की पावती दें ।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा

अनुलग्नक : अनुदेश

प्रतिलिपि :

1. श्री..... प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन व निगरानी रखने के लिए उनसे अनुरोध है कि स्थापना की कवरेज से संबंधित सिफारिश यदि पहले नहीं भेजी गई है तो फार्म 5ए की दो प्रतियां तुरंत प्राप्त कर, अपनी सिफारिशों के साथ तुरन्त प्रस्तुत करें जिससे कि व्याप्ति की तिथि को अन्तिम रूप दिया जा सके ।
2. लेखा अनुभाग..... क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद ।
3. शास्तिक नुकसनी अनुभाग स्थानीय ।
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय, सै०-16, फरीदाबाद ।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त